18 देशों को बुलेटप्रूफ जैकेट निर्यात करता है भारत। सरकार ने बुलेटप्रूफ जैकेट बनाने के लिए 15 कंपनियों को लाइसेंस दे रखा है। देश में सालाना 10 लाख जैकेट बनाई जा सकती हैं।

विपक्ष की मांग, दिल्ली दंगों की हो न्यायिक जांच

राज्यसभा में चर्चा ▶ कपिल सिब्बल बोले – 'सांप्रदायिक वायरस' लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक

सीएए के विरोध के जरिये दंगों के लिए आधार भूमि तैयार की गई : सुधांशु

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

गुरुवार को राज्यसभा में दिल्ली दंगों पर चर्चा के दौरान भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी। प्रेट्र

राज्यसभा में बहस के दौरान विपक्षी दलों ने 'सांप्रदायिक वायरस' को लोकतंत्र के लिए खतरा बताते हुए दिल्ली दंगों की न्यायिक जांच कराए जाने की मांग की। वहीं, भाजपा ने विपक्ष को आईना दिखाया। लगभग छह घंटे तक राज्यसभा में गर्मागर्म बहस हुई। हालांकि लोकसभा से सीख लेते हुए राज्यसभा में कांग्रेस ने वॉकआउट नहीं किया।

राज्यसभा में अल्पकालिक चर्चा के दौरान कुछ विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि भाजपा जिस तरह का सांप्रदायिक वायरस फैला रही है वो कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक है। विपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को भी यह कहकर घेरा कि जब दंगों ने देश की राजधानी को अपनी लपेट में ले रखा था तब वे अमेरिकी राष्ट्रपति की आवभगत में व्यस्त थे। किसी ने भड़काऊ भाषण देने वाले नेताओं पर कार्रवाई नहीं की। वरिष्ठ कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा, 'प्रधानमंत्री 70 घंटे तक खामोश रहे। जबकि पुलिस की मशीनरी दंगाइयों की मदद करने और प्रमाण नष्ट करने में व्यस्त थी। गृह मंत्री ने सीसीटीवी कैमरे नष्ट करते पुलिसकर्मियों की फुटेज देखी होगी। दंगों में 53 लोग मारे गए। इनमें 34 एक समुदाय के थे। लेकिन घृणा फैलाने वाले लोगों के खिलाफ एफआइआर नहीं लिखी जा रही है। अगर सरकार चाहती तो हिंसा आसानी से रुक सकती थी। मगर ये मारने का लाइसेंस था।'

तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ ब्रायन ने कहा, 'कल हमने गृह मंत्री से सुना कि घृणा फैलाने वाले सारे सोशल मीडिया अकाउंट पर कार्रवाई होगी। गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी कृपया इसे शुरू कर उदाहरण प्रस्तुत करें। हमें आश्वस्त करें।' उन्होंने कहा, दिल्ली पुलिस के बारे में दावा किया जा रहा है कि उसने बहुत अच्छा काम किया। यदि ऐसा है तो दंगा रोकने के लिए एनएसए अजित डोभाल को क्यों जाना पड़ा? डेरेक ने सीएए, एनआरसी और एनपीआर को जहरीला संयोजन बताते हुए गृह मंत्री से जानना चाहा कि क्या वह सदन को बता सकते हैं कि दंगों के लिए कौन जिम्मेदार हैं।

विपक्ष के प्रहार पर भाजपा की ओर से सुधांशु त्रिवेदी ने मोर्चा संभाला। उन्होंने कहा कि आम तौर पर दंगे किसी घटना की प्रतिक्रियास्वरूप होते हैं। लेकिन ये पहला दंगा था जिसकी वजह या दंगाइयों की मांग क्या थी, मालूम नहीं। दंगों के लिए आधार भूमि तैयार की गई। सबको पता है कि महात्मा गांधी की राजनीतिक दृष्टि रामराज्य की थी। कहने को तो सीएए विरोधी प्रदर्शन का कोई नेतृत्वकर्ता नहीं था। गृह मंत्री ने बुलाया तब भी कोई नहीं दिखा। जबकि टीवी पर बहस के दौरान कई नेतृत्वकर्ता दिखाई दे रहे थे। तब किसी ने नहीं कहा कि भाई ये हमारे नेतृत्वकर्ता नहीं हैं। दंगों के दौरान किसी विपक्षी दल की ओर से शांति की अपील नहीं आई। उन्होंने हर बात के लिए दिल्ली पुलिस को जिम्मेदार ठहराए जाने को गलत बताते हुए कहा दिल्ली पुलिस की हालत इराक जैसी हो गई है। जिस पर हर गलत चीज के लिए हमला बोला जाता है। हमारे वक्त में हुए दंगों को सांप्रदायिक बताया जा रहा है। मानो कांग्रेस के समय में हुए दंगे 'सेकुलर' थे। भाजपा की ओर से कई नेताओं ने कांग्रेस काल में हुए दंगों का जिक्र किया और कहा कि दिल्ली की घटना में सरकार सक्रियता से जांच कर रही है।

निजता का उल्लंघन नहीं

प्रथम पृष्ठ से आगे

चर्चा के दौरान विपक्ष ने निजता का भी सवाल उठाया तो आक्रामक शाह ने कहा, फेस आइडेंटिफिकेशन की प्रक्रिया में आधार का उपयोग नहीं किया जा रहा है। इसकी जगह ड्राइविंग लाइसेंस को लिया गया है। 25 कंप्यूटरों से भारी संख्या में पहुंचे वीडियो क्लिपिंग को जांचा परखा जा रहा है। शाह ने कहा कि किसी की जान चली गई और इसमें किस निजता की बात करते हैं।

ऐसे दंगाइयों को तो कठोर से कठोर दंड दिया जाना चाहिए। अब तक 1922 लोगों को उनके चेहरे के आधार पर पहचान कर चिन्हित कर लिया गया है। इनमें 336 उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। ऐसे लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस के आधार पर पहचाना गया है।

संस्थानों पर हमले की अलग जांच : दिल्ली दंगों के दौरान हत्या और अस्पताल, शिक्षण संस्थानों व धार्मिक स्थलों पर किए गए हमलों की जांच के लिए तीन विशेष जांच दल (एसआइटी) गठित किए गए हैं। इनका नेतृत्व डीआइजी और आइजी स्तर का पुलिस अधिकारी करेगा। इसमें 50 ऐसे घटनाओं को चिन्हित किया गया है।

दिल्ली दंगे की जांच के कुछ आंकड़े

40 से अधिक विशेष दल गठित किए गए हैं जो केवल फोन खंगालकर गिरफ्तारी कर रहे हैं।

49 वारदातें देसी असलहों से हुई हैं, जिनमें 52 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं।

125 देसी असलहे जब्त किए जा चुके हैं।

अंकित शर्मा व पुलिसकर्मी रतनलाल के हत्यारोपित हो चुके हैं गिरफ्तार।

न्यूज गैलरी

शशि थरूर ने निचली अदालत के समन को दी चुनौती

नई दिल्ली : कांग्रेस नेता शशि थरूर ने मानहानि के मामले में राउज एवेन्यू की विशेष अदालत से जारी समन के खिलाफ हाई कोर्ट में चुनौती याचिका दायर की है। पिछले साल 27 अप्रैल को अदालत ने समन जारी किया था। दरअसल, दिल्ली भाजपा के उपाध्यक्ष राजीव बब्बर ने थरूर के खिलाफ मानहानि की शिकायत दायर की थी। शिकायत में कहा गया है कि थरूर ने बेंगलुरु में एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जानबूझकर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, जिससे हिंदू भावनाएं आहत हुईं। (जासं.)

राजीव सक्सेना की जमानत रद करने से कोर्ट का इन्कार

नई दिल्ली : 3600 करोड़ रुपये के अगस्ता वेस्टलैंड मामले से जुड़े मनी लांड्रिंग के मामले में आरोपित से सरकारी गवाह बने दुबई निवासी व्यापारी राजीव सक्सेना की जमानत रद करने से विशेष अदालत ने इन्कार कर दिया। इससे पहले अदालत ने सक्सेना का सरकारी गवाह का स्टेटस हटाने से भी मना कर दिया था। ईडी ने राउज एवेन्यू की विशेष अदालत में अर्जी दायर कर जमानत रद करने की मांग की थी। एजेंसी ने कहा था कि जांच के दौरान राजीव सक्सेना सभी तथ्यों की जानकारी साझा नहीं कर रहे हैं। (जासं.)

बीसीआइ वकीलों को उपभोक्ता कानून के दायरे में लाने के खिलाफ

नई दिल्ली : वकीलों को उपभोक्ता संरक्षण कानून के दायरे में लाने के सरकार के प्रस्ताव पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआइ) ने देश के 20 लाख से ज्यादा वकीलों की ओर से चिंता और असहमति व्यक्त की है। उपभोक्ता मामले मंत्रालय को पत्र लिखकर बीसीआइ ने इस प्रस्ताव को वापस लेने का अनुरोध किया है। इसमें लिखा है, 'यदि उपभोक्ता संरक्षण कानून के दायरे में वकीलों को लाया गया तो इस कठोर प्रस्ताव के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने के अलावा उनके पास और कोई विकल्प नहीं बचेगा।' (प्रेट्र)

डाक विभाग ने शुरू की देश की पहली फ्री डिजिटल लॉकर सेवा

कोलकाता : भारतीय डाक विभाग के बंगाल सर्किल ने गुरुवार को कोलकाता में देश की पहली डिजिटल लॉकर सेवा शुरू की है। डाक विभाग ने अपनी सेवा को और उन्नत करने को लेकर यह कदम उठाया है। इसका पूरा नाम डिजिटल पार्सल सर्विस रखा गया है जो देश में प्रथम है। इसकी पायलेट परियोजना के रूप में गुरुवार को कोलकाता मे साल्टलेक के पोस्ट आफिस में शुरू की गई है। यह सेवा राजारहाट न्यूटाउन के डाक घर में भी शुरू हुई है। इस सर्विस के तहत कस्टमर्स पोस्ट ऑफिसेज से अपना पार्सल अपनी सुविधा के हिसाब से कलेक्ट कर सकेंगे। यह सुविधा यूरोपीय देशों में काफी लोकप्रिय है, लेकिन भारत में पहली बार शुरू हो रही है। जिनके घर में कोई नहीं होता उन्हें इसका लाभ मिलेगा। (राब्यू)

अर्थव्यवस्था व कोरोना को लेकर सरकार का रुख लचर : राहुल

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

घेराबंदी

- बोले-जल्द ठोस कदम नहीं उठाए गए तो सुनामी जैसे हालात होंगे
- सुरजेवाला बोले -मौन छोड़ प्रधानमंत्री संसद में दें बयान

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आर्थिक मंदी की चुनौतियों के बीच कोरोना वायरस के प्रभाव से अर्थव्यवस्था की बढ़ी मुश्किलों पर सरकार के रुख को लचर बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए राहुल ने कहा कि अर्थव्यवस्था को कोरोना की मुसीबतों से बचाने के लिए पीएम ने अभी तक कोई पहल नहीं की है। जल्द ठोस कदम नहीं उठाये गये तो ये दोतरफा चुनौतियां हमारी अर्थव्यवस्था को सुनामी की तरह धराशायी कर देंगी।

कोराना के प्रभाव से शेयर बाजार में मचे कोहराम को राहुल ने इसका शुरुआती लक्षण करार दिया। आर्थिक चुनौतियों के मुद्दे पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि शेयर बाजार में बीते दो दिनों में जो हुआ वह जाहिर कर रहा कि कोराना वायरस एक बेहद गंभीर समस्या है।

राहुल ने कहा कि भारत की ताकत उसकी अर्थव्यवस्था रही है जिसे नरेंद्र मोदी की नीतियों और विचारधारा ने नष्ट कर दिया है। मौजूदा हालत में पीएम के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा। कांग्रेस नेता ने कहा कि वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के नहीं बोलने की वजह समझी जा सकती है क्योंकि उन्हें आर्थिक मामलों की समझ नहीं है। मगर पीएम को तो यह बताना चाहिए कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए वे क्या कर रहे हैं।

राजग सरकार के आर्थिक प्रबंधन पर प्रहार करते हुए राहुल ने कहा कि मनमोहन सिंह की सरकार ने दस साल तक तक शानदार तरीके से देश की अर्थव्यवस्था को चलाते हुए विकास को गति दी। ऐसा इसीलिए हुआ कि हम अर्थव्यवस्था को समझते हैं और इसे चलाना जानते हैं।

अर्थव्यवस्था की चुनौतियां और ज्यादा गंभीर होने की आशंका जाहिर करते हुए राहुल ने कहा कि हालात सुनामी की तरह होने वाले हैं। जब यह संकट वापस लौटेगा तो अर्थव्यवस्था में और बर्बादी लाएगा। इसका नुकसान लाखों-करोड़ों लोगों विशेषकर युवाओं को होगा। इसीलिए युवाओं को सरकार और प्रधानमंत्री से यह सवाल पूछना होगा कि अर्थव्यवस्था व उनके रोजगार के लिए इन छह सालों में उन्होंने क्या किया है?

उधर, कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था कोरोना संकट की चपेट में है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मौन हैं। संसद का सत्र चल रहा है ऐसे में प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए।

एक करोड़ से अधिक आबादी वाले शहरों में चलें पिंक बसें

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक करोड़ से अधिक आबादी वाले शहरों में महिलाओं के लिए पिंक बसें चलाए जाने की वकालत की। लोकसभा में गुरुवार को सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं की सुरक्षा पर पूछे गए सवाल के जवाब में गडकरी ने कहा कि कुछ शहरों में यह सेवा शुरू की जा चुकी है और सफलतापूर्वक चल रही है। इन बसों में चालक, कंडक्टर और यात्री महिलाएं होती हैं।

गडकरी ने कहा कि निर्माताओं से नई बसों में पैनिक बटन और सीसीटीवी कैमरा अनिवार्य रूप से लगाने का निर्देश दिया जा चुका है। दिल्ली से जुड़े ऐसे ही सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सभी नई सार्वजनिक परिवहन बसों में पैनिक बटन और सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उनके मंत्रालय ने राज्यों को परामर्श जारी कर दिया है कि इलेक्ट्रिक टू और थ्री व्हीलर को परमिट से छूट दी जाए। टू और थ्री व्हीलर का महिला यात्रियों द्वारा आवाजाही के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे रोजगार सृजित करने में मदद मिलेगी।

पोस्टर मामले पर सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की पीठ करेगी विचार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

लखनऊ हिंसा

- कोर्ट ने कार्रवाई पर कहा, इसके पीछे कोई कानूनी आधार नजर नहीं आ रहा
- कोर्ट ने माना कि कार्रवाई हो लेकिन हाईकोर्ट के आदेश पर रोक नहीं लगाई

नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के खिलाफ प्रदर्शन में हिंसा फैलाने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के लखनऊ में पोस्टर लगाने के मामले को सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण मानते हुए तीन न्यायाधीशों की बड़ी पीठ को विचार के लिए भेज दिया है। साथ ही हाईकोर्ट के आदेश पर फिलहाल रोक नहीं लगाई है।

गुरुवार को सुनवाई के दौरान प्रदेश सरकार ने कार्रवाई को जायज ठहराते हुए इसे निजता के अधिकार के दायरे से बाहर बताया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई की बात तो मानी लेकिन व्यक्ति और सरकार के अधिकार में भिन्नता जताते हुए कहा कि प्रदेश सरकार की कार्रवाई के पीछे कानूनी आधार नजर नहीं आ रहा है। व्यक्ति तब तक कुछ कर सकता है जब तक कानून में उसकी मनाही न हो लेकिन सरकार वही कर सकती है जिसकी कानून इजाजत देता हो।

सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी पोस्टर हटाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली उप्र सरकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान की। हाईकोर्ट ने 9 मार्च को लखनऊ में हिंसा फैलाने वालों व संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से भरपाई के लिए लगाए गए फोटो और पते वाले पोस्टरों पर स्वतः संज्ञान लेकर पोस्टर हटाने के आदेश दिये थे। प्रदेश सरकार ने गुरुवार को कार्रवाई को सही ठहराने के लिए न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसलों का बल्कि यूके की सुप्रीम कोर्ट के भी एक फैसले का हवाला दिया गया।

न्यायमूर्ति यूयू ललित और अनिरुद्ध बोस की पीठ ने पेश फैसलों को देखने के बाद कहा कि मामला महत्वपूर्ण है। इस पर विस्तृत विचार करने की जरूरत लगती है। कोर्ट ने मामले को विचार के लिए कम से कम तीन जजों की बड़ी पीठ के समक्ष अगले सप्ताह जल्दी से जल्दी लगाने का निर्देश दिया। उचित पीठ के गठन के लिए मामले को तत्काल मुख्य न्यायाधीश के सामने पेश करने को भी कहा है। इसके अलावा जिन लोगों के फोटो पोस्टर में लगे हैं कोर्ट ने उन्हें मामले में पक्षकार बनने के लिए अर्जी दाखिल करने की छूट दी है।

इससे पहले प्रदेश सरकार की ओर से पेश सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हाईकोर्ट के आदेश का विरोध करते हुए कहा, इसे निजता के अधिकार का हनन माना जाना ठीक नहीं। जिन्होंने खुलेआम असामाजिक गतिविधियों में भाग लिया। अगर कोई सरेआम बंदूक लहराता है और उसकी हुड़दंगी गतिविधि की वीडियोग्राफी हो जाती है, तो वह निजता के अधिकार का दावा नहीं कर सकता। पीठ ने कहा कि वह सरकार की चिंता समझ रही है, निसंदेह उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उनसे मुआवजा अदा करने को भी कहा जा सकता है लेकिन यहां मुद्दा यह है कि क्या सरकार दो कदम आगे बढ़कर किसी का पोस्टर लगा कर बदनाम कर सकती है। मेहता ने कहा कि पोस्टर यूं ही नहीं लगाए गए। पुलिस के पास ऐसे 95 मामले थे जिनकी जांच की गई और 57 के खिलाफ सबूत पाए जाने पर उनके पोस्टर लगे। इन लोगों को नुकसान की भरपाई का नोटिस भेजा गया है। इस पर पीठ ने पूछा कि क्या नोटिस की अवधि गुजर चुकी है। मेहता ने कहा कि 30 दिन का नोटिस था अभी अवधि नहीं बीती है। कुछ लोगों ने नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती दी है मामला विचाराधीन है।

42 कंपनियों में निदेशक थी राणा कपूर की पत्नी बिंदु

नई दिल्ली, आइएएनएस : यस बैंक के पूर्व प्रमोटर राणा कपूर की पत्नी बिंदु राणा कपूर करीब 42 कंपनियों में निदेशक थी। दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (डीएचएफएल) से 600 करोड़ रुपये की रिश्वत लेने के मामले में दर्ज सीबीआइ एफआइआर में इनमें से कुछ कंपनियों के नाम शामिल हैं।

राणा कपूर से जुड़ीं मुख्य इंवेस्टमेंट और होल्डिंग कंपनियों में बिंदु निदेशक थीं। इनमें मॉर्गन क्रेडिट्स, यस कैपिटल (इंडिया), डीओआइटी अंब्रेला कंपनीज और आरएबी शामिल हैं। ज्यादातर के नाम रियल्टी कंपनियों जैसे हैं, मसलन ब्लिस, इमेजिन, मंत्रा आदि। संदेह है कि रियल्टी उपक्रमों में निवेश के जरिये पैसे का गबन किया गया। दिल्ली में ही राणा कपूर के तीन बंगले हैं।

सीबीआइ एफआइआर में डीएचएफएल के अलावा इनमें से कुछ कंपनियों को भी नामित किया गया है। इनमें डीओआइटी अर्बन वेंचर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, आरएबी इंटरप्राइजेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, मॉर्गन क्रेडिट्स प्राइवेट लिमिटेड और आरकेडब्लू डेवलेपर्स प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं। इन पर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, रिश्वतखोरी, रिश्वत के लिए उकसाने और आपराधिक कदाचार के आरोप लगाए गए हैं। सीबीआइ एफआइआर में जिन लोगों को नामित किया गया है उनमें राणा कपूर, उनकी पत्नी बिंदु (आरएबी इंटरप्राइजेज की तत्कालीन निदेशक), उनकी बेटियां रोशनी कपूर (मॉर्गन क्रेडिट्स प्राइवेट लिमिटेड और डीओआइटी अर्बन वेंचर्स की निदेशक), राखी कपूर टंडन (मॉर्गन क्रेडिट्स प्राइवेट लिमिटेड की निदेशक) और राधा कपूर खन्ना (मॉर्गन क्रेडिट्स प्राइवेट लिमिटेड और डीओआइटी अर्बन वेंचर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की निदेशक) शामिल हैं। डीएचएफएल ने रिश्वत की रकम डीओआइटी अर्बन वेंचर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को दी थी। यह आरएबी इंटरप्राइजेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडरी थी जिसमें बिंदु निदेशक थी। जांच के दौरान पता चला कि राणा की बेटियों राखी, रोशनी और राधा के पास मॉर्गन क्रेडिट्स प्राइवेट लिमिटेड के जरिये डीओआइटी अर्बन वेंचर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की शत प्रतिशत शेयर होल्डिंग थी।

ज्यादातर कंपनियां डीओआइटी, ब्लिस और इमेजिन अंब्रेला ऑफ कंपनीज के तहत थीं। ब्लिस होम, इमेजिन रेजीडेंस, डीओआइटी ई सॉल्यूशंस, डीओआइटी क्रिएटिव कंज्यूमर वेंचर्स, मॉर्गन एक्जिम, डीओआइटी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, डीओआइटी क्रिएशंस, लियासारिया एग्री एंड ईकोटूरिज्म, डीओआइटी इनोवेटिव एट्रेक्शंस, ब्लिस एग्री, स्मार्ट एविएशन, मॉर्गन हेबिटेट, मंत्र रिटल्टी जैसी कंपनियों में भी बिंदु निदेशक है।

ज्यादा ब्याज के लिए यस बैंक में रखा गया था श्रीजगन्नाथ मंदिर का पैसा

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर

'ज्यादा ब्याज पाने के लिए भगवान श्रीजगन्नाथ जी की धनराशि यस बैंक में रखी गई थी।' यह कहना है ओडिशा के वित्त मंत्री निरंजन पुजारी का। वह गुरुवार को विधानसभा के बजट सत्र के दौरान श्रीजगन्नाथ मंदिर के 545 करोड़ रुपये यस बैंक में रखे जाने पर सदन में चर्चा का जवाब दे रहे थे। मंत्री ने कहा कि इसके लिए श्रीमंदिर प्रशासन ने बैंक का चयन किया था। इसके लिए कोटेशन के आधार पर शिड्यूल बैंकों से प्रस्ताव मांगा था। कुल 12 बैंकों ने कोटेशन डाले थे। इनमें से यस बैंक ने सर्वाधिक 8.61 फीसद ब्याज देने का वायदा किया था। इसके चलते श्रीमंदिर प्रशासन ने यस बैंक में एक साल के लिए पैसा रखा था।

केंद्रीय वित्तमंत्री से मिला बीजद का प्रतिनिधिमंडल

यस बैंक में जमा श्रीजगन्नाथ मंदिर के 545 करोड़ रुपये को वापस लाने के लिए बीजद की तरफ से प्रयास शुरू हो गया है। बुधवार को बीजद का संसदीय प्रतिनिधमंडल नई दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिला। बीजद के प्रतिनिधियों ने सीतारमण से मंदिर के यस बैंक में जमा रुपये को वापस दिलाने का आग्रह किया।

बता दें, महाप्रभु श्रीजगन्नाथ के 545 करोड़ रुपये यस बैंक में रखे जाने को लेकर विपक्ष ने विधानसभा में जमकर हंगामा किया था। महाप्रभु का पैसा हड़पने का षड्यंत्र बताते हुए विपक्ष ने विधानसभा की कार्रवाई बाधित की थी।

एक व दो इंजन वाले विमानों को मिलेगा समान अवसर

नई दिल्ली, एएनआइ

करीब 1.5 लाख करोड़ रुपये से खरीदे जाने हैं 114 लड़ाकू विमान

114 बहुउद्देश्यीय लड़ाकू विमान सौदे की प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लेने वाले एक और दो इंजनों वाले विमानों के लिए भारतीय वायुसेना समान अवसर मुहैया कराने की तैयारी कर रही है। करीब 1.5 लाख करोड़ रुपये (20 बिलियन डॉलर) के इस सौदे के लिए सात युद्धक विमानों के प्रतिस्पर्धा में शामिल होने की संभावना है। इनमें लॉकहीड मार्टिन का एफ-21, बोइंग के एफ-18 और एफ-15, साब का ग्रिपेन, रोसोबोरोनएक्सपोर्ट का मिग-35 और सुखोई-35 और दासौ का राफेल शामिल हैं। भारतीय वायुसेना के शीर्ष सूत्रों ने बताया, 'प्रतिस्पर्धा में एक इंजन और दो इंजन वाले विमान हैं। हम गुणात्मक आवश्यकता विशेषताओं को इस तरह तैयार करना चाहते हैं कि दोनों तरह के युद्धक विमानों के लिए समान अवसर उपलब्ध हों और उनके बीच निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा हो सके।' दो इंजन और एक इंजन वाले युद्धक विमानों के बीच प्रतिस्पर्धा में एक इंजन वाले विमान जहां किफायती होते हैं वहीं दो इंजन वाले विमान सुरक्षा और प्रदर्शन के लिहाज से बेहतर होते हैं। संभावित प्रतिस्पर्धियों में एफ-21 और ग्रिपेन एक इंजन वाले विमान हैं जबकि शेष पांच विमान दो इंजन वाले हैं। वायुसेना जल्द ही खरीद के लिए केस स्टेटमेंट तैयार करेगी और रक्षा मंत्रालय द्वारा निविदा जारी करने के लिए उसे रक्षा खरीद परिषद के समक्ष मंजूरी के लिए प्रस्तुत करेगी।

वायुसेना की योजना रणनीतिक भागेदारी के जरिये 114 युद्धक विमानों की खरीद की है। इसके तहत 96 विमानों को स्वदेशी कंपनियां वैश्विक निर्माता कंपनियों के साथ साझेदारी करके भारत में ही बनाएंगी। मालूम हो कि निविदा आवश्यकताओं में जटिलताओं की वजह से फ्रांसीसी कंपनी दासौ के साथ 126 युद्धक विमानों की खरीद का सौदा परवान नहीं चढ़ सका था। लिहाजा सरकार ने 2016 में आपातकालीन प्रावधानों के तहत दासौ से 36 राफेल विमानों की खरीद का सौदा किया था। इस साल मई में ये विमान पहले अंबाला और फिर बंगाल के हाशिमारा एयरबेस पर पहुंचने शुरू होंगे।

लगी चपत

प्राधिकरण के कई दावों को एनसीएलटी ने किया अस्वीकार, ईडीसी के करीब 12 सौ करोड़ रुपये का दावा भी नहीं किया स्वीकार

अधिग्रहण से यमुना प्राधिकरण को 15 सौ करोड़ का झटका

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा

जेपी इंफ्राटेक के अधिग्रहण को लेकर दिए गए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) के फैसले से यमुना प्राधिकरण को 15 सौ करोड़ रुपये का झटका लगा है। ट्रिब्यूनल ने यमुना प्राधिकरण के कई दावों को स्वीकार नहीं किया। यह रकम प्राधिकरण को जेपी इंफ्राटेक से वसूलनी थी। सबसे बड़ा झटका वाह्य विकास शुल्क (ईडीसी) को लेकर लगा है।

एनसीएलटी नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन (एनबीसीसी) को जेपी इंफ्राटेक के अधिग्रहण का आदेश दे चुका है। एनसीएलटी के समक्ष यमुना प्राधिकरण ने भी दावे पेश किए थे, जो धनराशि उसे जेपी इंफ्राटेक से वसूलनी थी। लेकिन प्राधिकरण के कई दावे को एनसीएलटी ने स्वीकार नहीं किया। इससे प्राधिकरण को बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है। यमुना एक्सप्रेस-वे के निर्माण के एवज में जेपी इंफ्राटेक को पांच जगहों पर पांच-पांच सौ हेक्टेयर जमीन लैंड फॉर डेवलपमेंट (एलएफडी) के लिए दी गई थी। इसमें एक एलएफडी नोएडा, दो यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के गौतमबुद्ध नगर में, एक टप्पल व एक आगरा में है।

एनसीएलटी ने प्राधिकरण के कई दावों को अस्वीकार किया है। ईडीसी, लीज रेंट आदि के दावे को एनसीएलटी ने स्वीकार नहीं किया। प्राधिकरण को इससे करीब डेढ़ हजार करोड़ का नुकसान हुआ है।
डॉ. अरुणवीर सिंह, यमुना प्राधिकरण

एलएफडी का वाह्य विकास शुल्क यमुना प्राधिकरण को जेपी इंफ्राटेक से वसूल करना था। इसमें गौतमबुद्ध नगर में यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के एलएफडी दो का 244 करोड़, एलएफडी तीन का 380 करोड़, टप्पल की एलएफडी का 285 करोड़ व आगरा एलएफडी का 288 करोड़ है। हालांकि एलएफडी दो व तीन की जमीन को जेपी इंफ्राटेक बेच चुका है। जबकि टप्पल व आगरा एलएफडी अभी बची हुई है।

लेकिन प्राधिकरण को इसमें से किसी का विकास शुल्क नहीं दिया गया। प्राधिकरण ने इसके लिए एनसीएलटी में दावा पेश किया था, जिसे उसने अस्वीकार कर दिया। इसके अलावा यमुना एक्सप्रेस वे की सलाहकार एजेंसी नियुक्त करने पर खर्च हुए 10.42 करोड़ व लीज रेंट के 26 करोड़ रुपये का दावा भी एनसीएलटी ने अस्वीकार कर दिया है।

जेपी समूह ने प्राधिकरण के खाते में जमा किए पचास करोड़ रुपये

ग्रेटर नोएडा : विशेष विकसित क्षेत्र (एसडीजेड) को बचाने के लिए जेपी समूह ने यमुना प्राधिकरण के खाते में पचास करोड़ रुपये जमा करा दिए हैं। अभी 25 मार्च तक उसे पचास करोड़ रुपये और प्राधिकरण के खाते में जमा कराने होंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जेपी समूह को 25 मार्च तक दो किस्तों में सौ करोड़ रुपये जमा कराने का आदेश दिया था। मामले की अगली सुनवाई अप्रैल में होनी है। एक हजार करोड़ रुपये का बकाया भुगतान न करने पर यमुना प्राधिकरण ने जेपी समूह की कंपनी जेपी स्पोर्ट्स इंटरनेशनल को आवंटित एक हजार हेक्टेयर का भूखंड निरस्त कर दिया था। यह भूखंड एसडीजेड की श्रेणी में कंपनी को आवंटित किया गया था। इसके साथ ही प्राधिकरण ने फार्मूला वन सर्किट व क्रिकेट स्टेडियम को भी सील कर दिया था। प्राधिकरण की इस कार्रवाई के खिलाफ जेपी समूह ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए सौ करोड़ पचास-पचास करोड़ रुपये की दो किस्तों में जमा कराने का आदेश दिया था। पहली किस्त के लिए दस मार्च तक का समय दिया गया था।

कह के रहेंगे — माधव जोशी